

संस्था के लिये नियमावली

- प्रशिक्षण केन्द्र को अपना पंजिकरण संस्था के साथ कराना अनिवार्य हैं।
- प्रशिक्षण केन्द्र को सदस्यता पंजिकरण करना अनिवार्य हैं।
- प्रशिक्षण केन्द्र को हर साल अपना सदस्यता पंजिकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षण केन्द्र को संस्था के सभी नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है।
- एक प्रशिक्षण केन्द्र पर 5 तरह के कोर्स से ज्यादा की ट्रेनिंग देने की अनुमती नहीं होगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र को रू 500 प्रत्येक कोर्स लेने के लिए जमा कराना होगा जो हर साल नवीनीकरण होगा।
- प्रशिक्षण केन्द्र को बैच शुरू करने के लिये 40 बच्चों का पंजिकरण कराना अनिवार्य हैं।
- प्रशिक्षण केन्द्र का हर माह जाँच अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा यदि सर्वेक्षण में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रशिक्षण केन्द्र पर कानुनी कार्यवाही की जाएगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र को प्रथम सहायता शुल्क के रूप में रू 25,000 दी जाएगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र को रू 5000 प्रति विद्यार्थी जो उत्तीर्ण होंगे सहायता राशी कोर्स के उपरांत दी जाएगी, जो हर माह रू 1000 के रूप में प्राप्त होगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र से केवल उत्तीर्ण विद्यार्थी का ही ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा।
- यदि कोर्स के उपरांत विद्यार्थी जो उत्तीर्ण होंगे और ऑन जॉब ट्रेनिंग पर नहीं जाता है या जाकर आ जाता है, उस परिस्थिती में प्रति विद्यार्थी रू 2500 की राशी दी जाएगी।
- उपरोक्त सभी नियमों में फेर बदल करने का पूरा अधिकार ए० ई० डब्ल्यू० एफ० के पास हैं।

ट्रेनिंग सेंटर का नाम.....

सेंटर हेड का नाम.....

ट्रेनिंग सेंटर का पता.....

दूरभास नंबर.....ईमेल.....

सभी नियमों को समझा/समझाया गया है। मैं सभी नियमों को कठोरता से पालन करने को वचनबद्ध हूँ।

यदि मैं नियमों के विरुद्ध कार्य करता/करती हूँ तो ए० ई० डब्ल्यू० एफ० द्वारा जो कार्यवाही की जाएगी

मुझे स्वीकार होगा/होगी।